25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 406870

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: हसनपुर लोधली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–31
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.384 हेक्टेयर

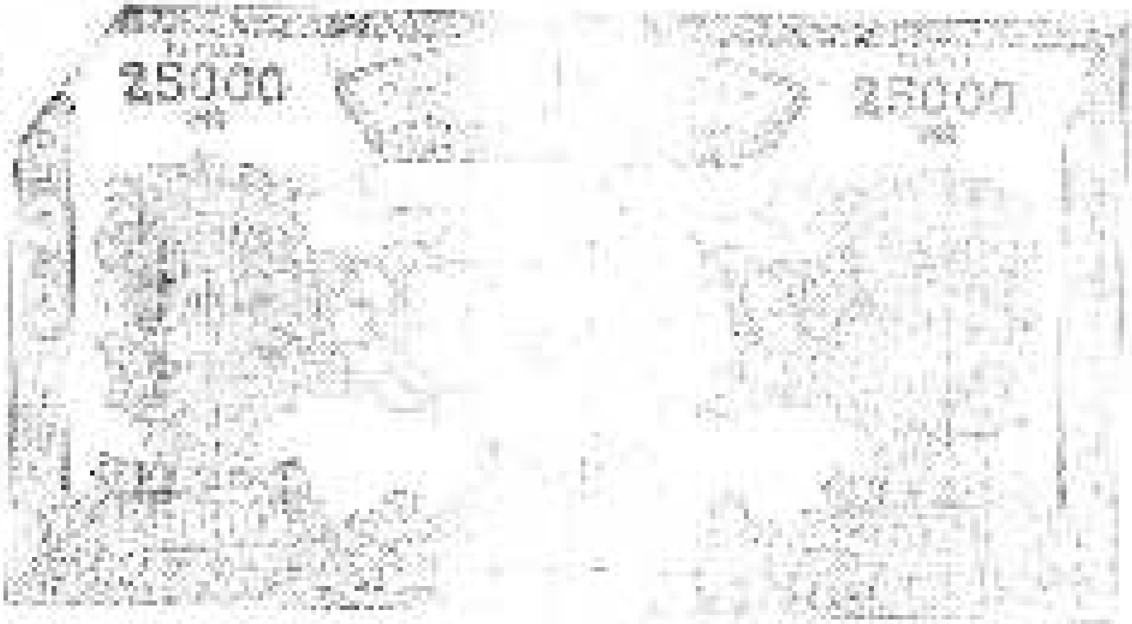

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	भूमि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 15,16,000/-
11.	मालियत	:	रू0 5,28,000/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 1,51,700/

चौहद्दी

<u>खसरा नं0 6</u>

पूरब	:	खसरा संख्या-47, 46
पश्चिम	:	खसरा संख्या-32, 33
उत्तर	:	खसरा संख्या-29, 30
दक्षिण	:	खसरा संख्या-36, 37

विक्रयकर्ता

क्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

406573

- 2 -

प्रथम पक्ष की संख्या–03 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) राम नरेश पुत्र भुल्लन (2) राम चन्द्र पुत्र शम्भू प्रसाद, (3) श्रीमती शीला पत्नी शम्भू प्रसाद, निवासीगण- हसनपुर लोधली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री भैरू लाल रावत निवासी–[illegible], गोसाईगंज, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

25000 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 406373

विक्रय विलेख

एक विक्रय विलेख (1) राम नरेश पुत्र भूपाल (2) राम चन्द्र पुत्र सम्भू प्रसाद, (3) श्रीमती शीला पत्नी सम्भू प्रसाद, निवासीगण- रसूलपुर लोधनी, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री बैजू लाल रावत निवासी-रानियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 406674

जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–31 रकबा 0.576 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा यानि 2/3 भाग यानि रकबा 0.384 हेक्टेयर, स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व दाखिल हैं तथा उपरोक्त

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] खाता खतौनी क्रम संख्या 00204 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम पर अंकित दर्ज राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है. उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 190337

उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि का उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 190388

किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 15,16,800/- (रुपया पन्द्रह लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 190309

स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुशी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 1960370

समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 445989

कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जे व खर्चे, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एव उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 446996

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 446991

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खोदनी अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.384 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,28,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,51,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 446992

कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जाति की सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 500851

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–31 रकबा 0.576 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि 2/3 भाग यानि रकबा 0.384 हेक्टेअर, स्थित ग्राम– हरौनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 520852

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेतागण ने रू0 15,16,800/- (रुपया पन्द्रह लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) द्वारा चैक संख्या- [illegible] दिनांकित 21.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा इन्दिरानगर, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

[illegible]

दिनांक [illegible] 21 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 21/12/2007 [illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

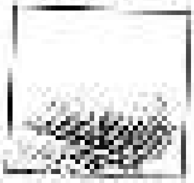

[illegible]

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 15,16,800/- (रूपया पन्द्रह लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या-17 पर चैक संख्या पेन से लिखी है।
लखनऊ
दिनांक: 21.06.2007
गवाह
1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

[illegible]
[illegible]
[illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible] कुमार
[illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible]

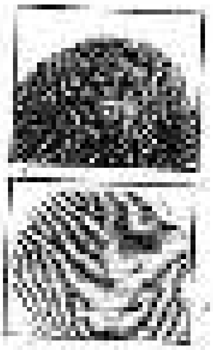

एस के पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32(ए) के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

अनुपाली/विक्रेता नाम व पता – [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

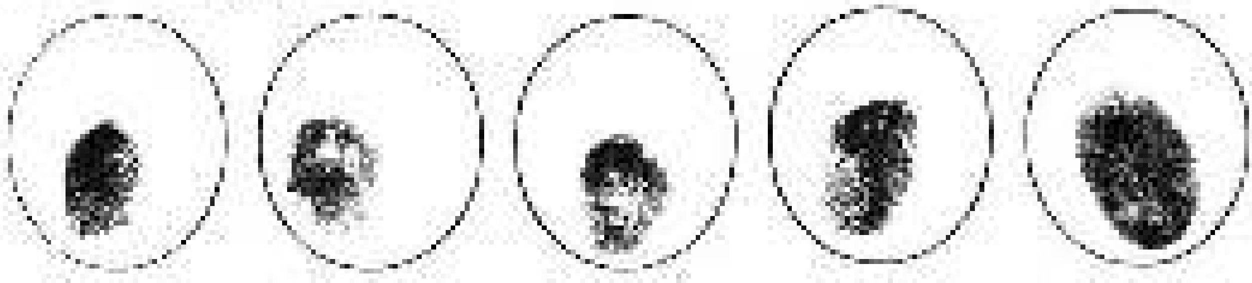

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

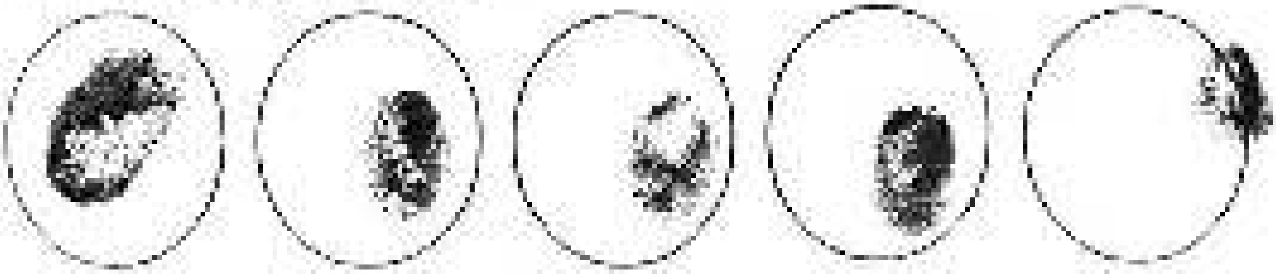

[illegible]

अनुपाली/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/केता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

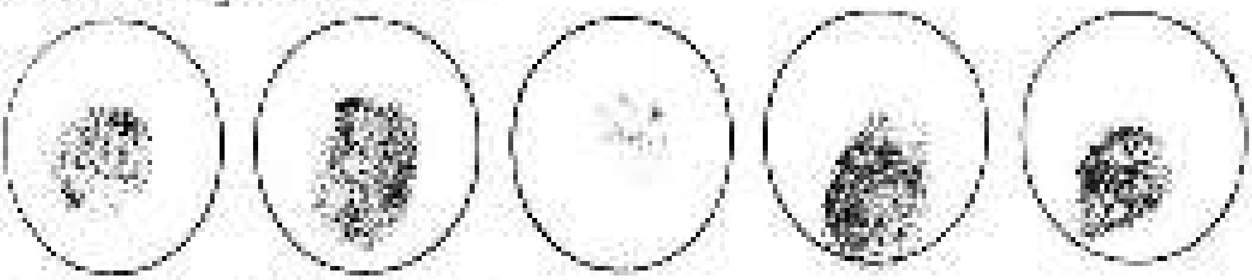

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

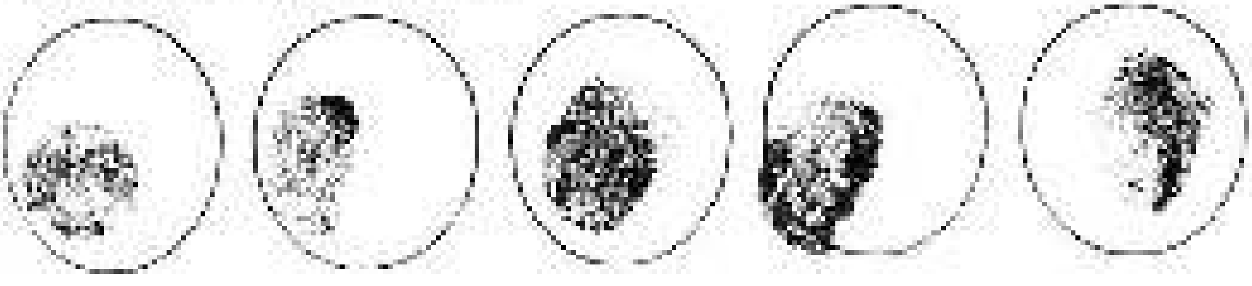

[illegible]

क्रेता/केता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. [illegible]   Year [illegible]   Book No.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

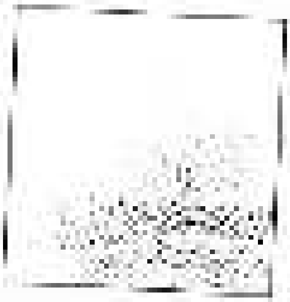

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / निष्पादक का नाम व पता — [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह —

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह —

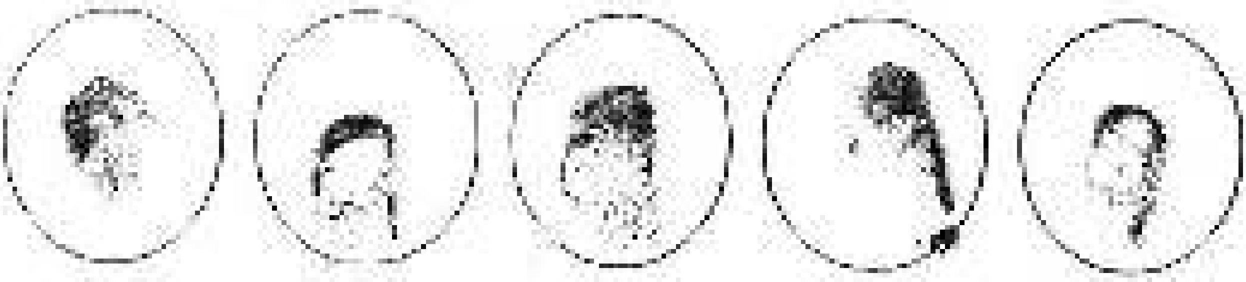

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / निष्पादक के हस्ताक्षर

निष्पादक / क्रेता नाम व पता — [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह —

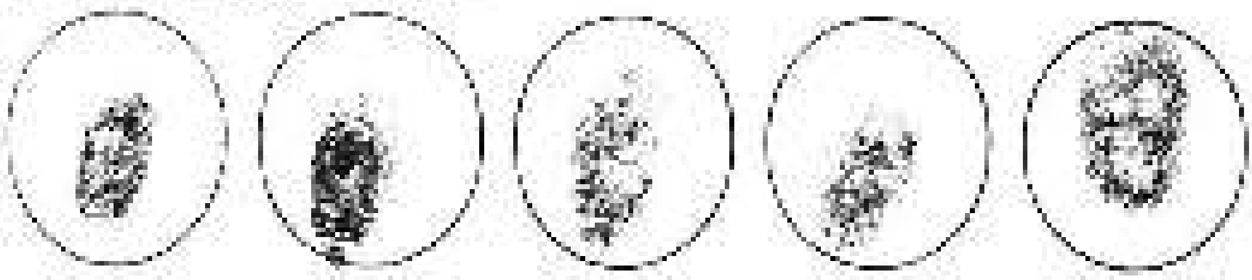

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह —

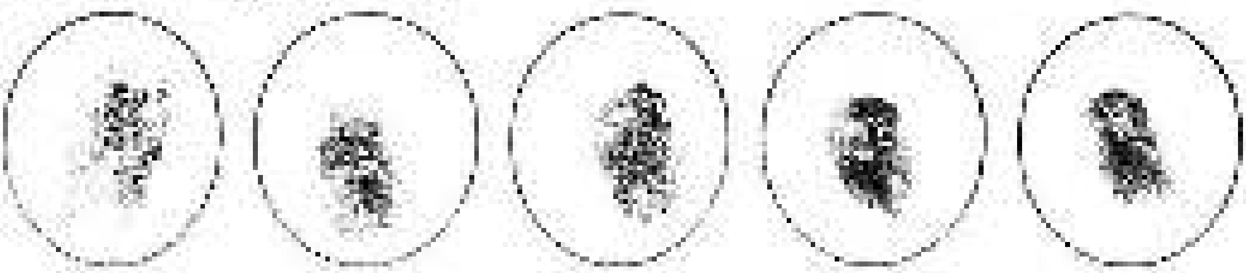

निष्पादक / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible] Year [illegible] Book No. 1

0001 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

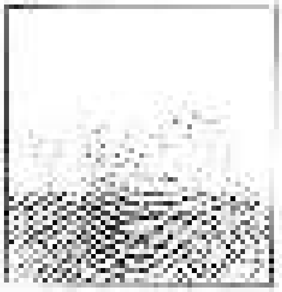

नक्शा नजरी

ग्राम [illegible]

खसरा संख्या– 31

जिला [illegible]

क्षेत्र [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

आज दिनांक 21/08/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8524

पृष्ठ सं 117 से 158 पर क्रमांक 7572

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.के. पाण्डेय

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

21/8/2007